न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 70/2019
प्रविष्टि दिनांक 12–9–2019

केलाशी पत्नि जयकिशन जाट निवासी बारेड़ा तह0 निवाई जिला–टोंक

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–8–2019 प्रकरण सं0 613/2019

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 29–11–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 484 में से रकबा 0.07 है0,वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई पर अतिक्रमण कर डोल बनाने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस नहीं दिया है ओर न ही, अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। जिससे न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त की अवहेल्ना हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] और निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व [illegible] गलत बताया है जबकि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कब्जा नहीं किया अपीलान्ट उक्त भूमि पर कोई क्लेम नहीं करता है तथा ना ही भविष्य में करेगा। अपीलान्ट का पश्चातिवर्ती कब्जा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:56:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

साबित नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर महत्ति भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ हे जिस कारण अतिक्रमी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा किस्म बारानी–3 में से 0.07 है0,वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई पर अतिक्रमण कर डोल का निर्माण कर लिया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1071/16 से डोल निर्माण करने पर बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम बारेड़ा तहसील निवाई में राजकीय सिवायचक पर पक्की बाउन्ड्री का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1063/16 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25–11–2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेंने विविादित भूमि खसरा नम्बर 484 वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में 0.07 है0 पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, ओर मैं भविष्य में उक्त भूमि पर पुनः कब्जा नहीं करूंगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करती है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:56:12 IST
Reason: SelfAttested